IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 78 OF 2023

IN THE MATTER OF:
Durga Singh Panwar & Ors.. ....Applicants

Versus

Rajendrs Singh Dafoti & Ors. ... Respondents

ADDITIONAL REPORT ON BEHALF OF JOINT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.12.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, PITHORAGARH, UTTARAKHAND.

P A P E R - B O O K

I N D E X

Srl	Particulars	Pages
1.	Additional Report on behalf of Joint Committee in compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 13.12.2023 through District Magistrate, Pithoragarh, Uttarakhand.	
2.	ANNEXURE-1: A true copy of the order dated 13.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	ANNEXURE-2: A copy of the Additional Report of the Committee dated 25.1.2024	

Through:

District Magistrate,
Pithoragarh, Uttarakhand

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 78 OF 2023

IN THE MATTER OF:
Durga Singh Panwar & Ors.. ....Applicants

Versus

Rajendrs Singh Dafoti & Ors. ... Respondents

ADDITIONAL REPORT ON BEHALF OF JOINT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.12.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, PITHORAGARH, UTTARAKHAND.

To,

The Hon'ble Chairperson and other companion members of the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi

Most Respectfully showeth as under:

1. That the undersigned is District Magistrate, Pithoragarh, Uttarakhand, is full acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and is filing Additional Report on behalf of Joint Committee in compliance of order dated 13.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.
2. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 13.12.2023 passed the following directions:-

"..................................

5. *Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through Email) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).*
6. *List for further consideration on 02.02.2024.*
7. *Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.*

8. *The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.*
9. *A copy of this order be sent to the District Magistrate, Pithoragarh, concerned District Mining Officer and Regional Officer, UKPCB by email for requisite compliance."*

A copy of the order dated 13.12.2023 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That in compliance of abovementioned order dated 13.12.2023, a joint committee of the officers/ officials from the following departments visited the site in question:
   (i) Sub Divisional Magistrate, Munsiyari
   (ii) District Mining Officer, Geology and Mining Department, Pithoragarh;
   (iii) Assistant Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani;
   In addition to the above, the following officials were also present at the time of joint inspection
   (iv) Tehsildar, Tejam
   (v) Revenue Inspector, Bansbagad
   (vi) Revenue Sub Inspector, Bansbagad
   (vii) Forest Beat Officer, Forest Department.

That the abovesaid joint committee visited the site in question on 25.1.2024 and prepared its additional report, the said additional report alongwith its enclosures are annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

4. That the abovementioned Additional Report of the joint committee is being filed through District Magistrate, Pithoragarh, Uttarakhand, in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 13.12.2023 as well as order dated 2.2.2024 for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, kindly accept the same.

[REENA JOSHI]
District Magistrate,
Pithoragarh, Uttarakhand

Item No.16 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.78/2023
(I.A. No. 746/2023)

Durga Singh Pawar Applicant

Versus

Rajendra Singh Dafoti Respondent

Date of hearing: 02.02.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondent: Mr. Rahul Verma AAG and Mr. Ayush Negi, Advocates for State of Uttarakhand.
Mr. Mukesh Verma Advocate for UKPCB. (Through VC)
Mr. V. K. Shukla and Ms. Apoorva Advocates for Respondent No. 5

ORDER

1. In terms of the directions contained in paragraph 5 of the order dated 13.12.2023, the additional report by the joint Committee has not been filed till now.

2. Learned Counsel representing District Magistrate, Pithoragarh has prayed for four week's time to file the additional report of the joint Committee in terms of the order dated 13.12.2023.

3. List this matter on 18.03.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

February 02, 2024
SN.

Item No.6 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No.78/2023
(I.A No. 746/2023)

Durga Singh Pawar & Ors. ...Applicants

Versus

Rajendra Singh Dafoti & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 13.12.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Rahul Verma AAG for respondent no. 1-State of Uttarakhand (through VC).

Mr. Mukesh Verma Advocate for respondent no-2-UKPCB (through VC).

Mr. Sugam Mishra Advocate for respondent No. 5-Project Proponent.

Ms.Reena Joshi DM, Pithoragarh.
Mr. Rahul Negi, District mining Officer.
Mr. D.K. Joshi RO, UKPCB.
Mr. H.C. Joshi Assistant Scientific Officer

None for respondents no. 3 and 4.

ORDER

<u>Application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.</u>

1. Vide order dated 31.10.2023, Respondent no. 5 was directed to file additional reply and to send thereof to the District Magistrate, Pithoragarh, concerned District Mining Officer and Regional Officer, UKPCB who were directed to verify the compliance and submit report to

this Tribunal and interim order dated 06.09.2023 was ordered to continue with modification as mentioned in said order.

2. Additional reply has been filed by respondent no. 5 vide email dated 17.11.2023.

3. Verification Report has been filed by the Joint Committee vide email dated 07.12.2023.

4. We find that in the Verification Report the Joint Committee has made some recommendations which are yet to be complied with.

5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same **within one month** through **E-filing portal (not through E-mail)** in the **form of searchable PDF/OCR Support PDF** (not in the form of Image PDF).

6. List for further consideration on 02.02.2024.

7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

9. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Pithoragarh, concerned District Mining Officer and Regional Officer, UKPCB by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 13th, 2023
ag

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

Consultant (Judicial),
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

संख्या–2-2549/तीस–खनन/2022–23 दिनांक फरवरी 21, 2024

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 02.02.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

1. In terms of the directions contained in paragraph 5 of the order dated 13.12.2023, the additional report by the joint Committee has not been filed till now.
2. 2. Learned Counsel representing District Magistrate, Pithoragarh has prayed for four week's time to file the additional report of the joint. Committee in terms of the order dated 13.12.2023.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 को पारित आदेश के पैराग्राफ–05 में दिये गये आदेशों अनुपालन में गठित समिति के माध्यम से दिनांक 25.01.2024 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण कराते हुए समिति की आख्या/सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र संख्या–728/तीस–खनन/2022–23 दिनांक फरवरी 01, 2024 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञानार्थ प्रेषित की गई थी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 02.02.2024 के क्रम में पुनः पूर्व में प्रेषित समिति की आख्या संलग्नकों सहित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीया,

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या एवं तिथि उक्तवत्।

प्रतिलिपि Shri Rahul Verma, Additional Advocate General, State of Uttarakhand, Hon'ble Supreme Court of India, 137, Tower No. 10, New Delhi. को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या–728/तीस–खनन/2022–23 दिनांक फरवरी 01, 2024 के क्रम में पुनः समिति की आख्या/सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के क्रम में शासकीय पक्ष दाखिल करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री राहुल नेगी, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़ को संदर्भित पत्र संख्या–728/तीस–खनन/2022–23 दिनांक फरवरी 01, 2024 के कम में पुनः इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामलें में स्वयं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में उपस्थित होकर अपर महाधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नियत समयान्तर्गत शासकीय पक्ष/अनुपालन आख्या दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 2543 दिनांक 01/02/24

सेवा में,

Consultant (Judicial),
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

संख्या– 728 / तीस–खनन / 2022–23 दिनांक फरवरी 01, 2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78 / 2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–78 / 2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 13.12.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया थे :–

........5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
6. List for further consideration on 02.02.2024.
7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.
8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों कम में प्रतिवादी संख्या–05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा सुझाये गये कार्यो के सम्बन्ध में पट्टाक्षेत्रान्तर्गत कृत कार्यो / अनुपालन दिनांक 22.01.2024 को उपलब्ध कराया गया, जिसमे कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुरुप समिति द्वारा दिनांक 25.01.2024 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या / सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 31.01.2024 की प्रति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञानार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीया,

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या एवं तिथि उक्तवत्।

प्रतिलिपि Shri Rahul Verma, Additional Advocate General, State of Uttarakhand, Hon'ble Supreme Court of India, 137, Tower No. 10, New Delhi. को समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के क्रम में आख्या/शासकीय पक्ष दाखिल करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री राहुल नेगी, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामलें में अपर महाधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नियत समयान्तर्गत शासकीय पक्ष/अनुपालन आख्या दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संयुक्त जांच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 13.12.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया थे :–

........5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

6. List for further consideration on 02.02.2024.

7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों कम में प्रतिवादी संख्या–05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा सुझाये गये कार्यो के सम्बन्ध में पट्टाक्षेत्रान्तर्गत कृत कार्यो/अनुपालन दिनांक 22.01.2024 (अनुलग्नक–01) को उपलब्ध कराया गया।

तत्कम में में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुरुप गठित समिति द्वारा दिनांक 25.01.2024 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह दफौटी (पट्टाधारक) उपस्थित नहीं थे। जांच के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती भावना देवी उपस्थित थी। संयुक्त जांच आख्या में निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
3. सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. तहसीलदार, तेजम।
2. राजस्व निरीक्षक, बांसबगड़।
3. राजस्व उप निरीक्षक, बांसबगड़।
4. बन वीट अधिकारी, वन विभाग।

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा पट्टाक्षेत्र में किये गये कार्यो/अनुपालन की स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.09.2023 एवं दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन में पट्टा क्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द पाया गया। (अनुलग्नक–02)

सत्यापित

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

503

1. प्रतिवादी संख्या–05 की अनुपालन आख्या दिनांक 22.01.2024 के अनुसार पट्टा क्षेत्र में वृक्ष रोपित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या–470/तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023 के द्वारा स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या–05 को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित वन पंचायत के सरपंच एवं वन क्षेत्राधिकारी की देख–रेख में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत की भूमि को पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या–05 को उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि चयन उपरान्त वृक्षारोपण किया जायेगा। (अनुलग्नक–03)

2. खनन से पूर्व में निस्तारित मलवे को प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा रोकने के लिये पूर्व में ढालदार भू–भाग में सीढ़ीनुमा आकार के विभिन्न स्तरों में तारयुक्त 14 दीवारों का निर्माण किया गया था, जिनकी औसतन लम्बाई 3.60 मी0, चौड़ाई 0.70 मी0 एवं ऊँचाई 1.30 मी0 पाई थी। समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरुप प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा स्थल पर निस्तारित मलवें को रोकने के लिए पूर्व निर्मित दीवारों के ऊपर 01 अतिरिक्त जालीनुमा तारयुक्त सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 39.00 मी0, चौडाई 1.30 मी0 एवं ऊँचाई 1.50 मी0 औसतन पाई गई। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा पूर्व में सुझाये गये उपायों के अनुरुप पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा एक अन्य स्थान पर भी मलवे को ढालदार भू–भाग में गिरने से रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 35.00 मी0, चौडाई 1.40 मी0 एवं ऊँचाई 1.50 मी0 औसतन पाई गई। इस प्रकार स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुरुप निस्तारित मलवें को ढालदार भू–भाग में गिरने से रोकने हेतु निर्मित दीवार उचित प्रतीत होती है। (फोटोग्राफ अनुलग्नक–04)

जांच में पाये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या–05 मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा पट्टाक्षेत्र में पूर्व में खनन से निस्तारित मलवें को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण, किया गया है तथा पट्टाक्षेत्र के समीप वन पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं देख–रेख की जानी होगी।

संलग्न–उक्तानुसार।

राजस्व उप निरीक्षक
बांसबगड

राजस्व निरीक्षक
बांसबगड।

वन बीट अधिकारी
वन विभाग, पिथौरागढ़।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
यू0के0पी0सी0बी0 हल्द्वानी।

तहसीलदार
तेजम।

खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
पिथौरागढ़।

उप जिलाधिकारी,
मुनस्यारी।

सत्यापित।

जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

 अनुलग्नक-01

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदया,

पिथौरागढ, उत्तराखण्ड।

विषय– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उत्तर।

महोदया,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या –1686/तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें (संलग्न है) जिसके अनुपालन में आपके निर्देशानुसार रिट्रेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ा दी गयी है एवं नयी दीवार का निर्माण कर दिया गया है। उपरोक्त ग्रामवासियों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कर दी गयी है।

महोदया, आपके निर्देशानुसार वृक्षारोपण का जो कार्य होना था जिस हेतु आपके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग को लिखित माध्यम से दिसम्बर 20, 2023 को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टा धारक को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज तक भी वन विभाग द्वारा पंचायत की भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके लिये हमारे द्वारा दिनांक 20.1.2024 को एक पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, को दुबारा से दिया गया था

कि हमे भूमि उपलब्ध करायी जाये जिससे कि हम वृक्षारोपण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर सके और हमारी अनुपालना पूरी हो पाये।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

दिनांक–22.1.2024

प्रार्थी,

मै० जे०डी० मिनरल्स
प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी,
बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग।
2. श्रीमान जिला खान अधिकारी, भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या–1686/तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह वफौटी,
बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी,
जनपद नैनीताल।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह वफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–469/तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन मे गठित समिति द्वारा दिनांक 18.11.2023 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ के निरीक्षण की आख्या/सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करते हुए समिति द्वारा सुझाये गये उपायो के अनुरुप तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनाक 13.12.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

........3. Verification Report has been filed by the Joint Committee vide email dated 07.12.2023

4. We find that in the Verification Report the Joint Committee has made some recommendations which are yet to be complied with.

5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

6. List for further consideration on 02.02.2024.

अतः कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों तथा इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 20.12.2023 के द्वारा की गई अपेक्षानुसार पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरुप तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मुनस्यारी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

अनुलग्नक-02

आदेश

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

.... In view of the mandate in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requiring this Tribunal to apply precautionary principle and serious environmental violations alleged to have been made by the respondent no. 5, respondent no. 5 is restrained till further orders from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

The District Magistrate and the Superintendent of Police, Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining takes place in the mining site in question.

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में खनन/निकासी कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी एवं जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ यह सुनिश्चित करेंगे के उक्त खनन स्थल पर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार का खनन/निकासी कार्य न होने पावे।

दिनांक सितम्बर 19, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 7879 दिनांक 19.9.23

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या–2358/तीस–खनन/2022–23 दिनांक सितम्बर 19, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
4. मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या– 485/तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023

1. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी। धारचूला।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के आदेश संख्या–2358/तीस–खनन/2022–23 दिनांक सितम्बर 19, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में खनन/निकासी कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.12.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

........3. Verification Report has been filed by the Joint Committee vide email dated 07.12.2023.

4. We find that in the Verification Report the Joint Committee has made some recommendations which are yet to be complied with.

5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).

6. List for further consideration on 02.02.2024.

7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

अतः कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश एवं इस कार्यालय के संदर्भित आदेश दिनांक 19.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित रखवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित रखना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 1686 दिनांक 23/12/23

अनुलग्नक-03

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 1614 दिनांक 20/12/23

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या– 470 /तीस–खनन/2022–23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 31.10.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

......'Additional reply be filed by the respondent no. 5-Project Proponent on or before 10.11.2023 and a copy thereof be sent to the District Magistrate, Pithoragarh and concerned District Mining Officer, Regional Officer, UKPCB who shall on receipt thereof verify the compliance by the Project Proponent and submit report to this Tribunal on or befor 25.11.2023 by way of email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of Searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित उपरोक्तानुसार समिति द्वारा दिनांक 16.11.2023 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत पट्टाक्षेत्र के समीप वन पंचायत की भूमि पर नियमानुसार शर्तो के अनुरुप वृक्षारोपण कर उचित प्रकार रख–रखाव/देखभाल किये जाने हेतु पट्टाधारक के प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत करते हुए वृक्षारोपण हेतु खनन पट्टा क्षेत्र के समीपस्थ वन पंचायत की भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास बृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टाधारक को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित वन पंचायत के सरपंच एवं वन क्षेत्राधिकारी की देख–रेख में बृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।
4. पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

अनुलग्नक-04

Latitude: 29°56'44"
Longitude: 80°13'49"
Elevation: 1444.88±10 m
Accuracy: 10.2 m
Time: 25-01-2024 13:56
Note: bajeta
Powered by NoteCam

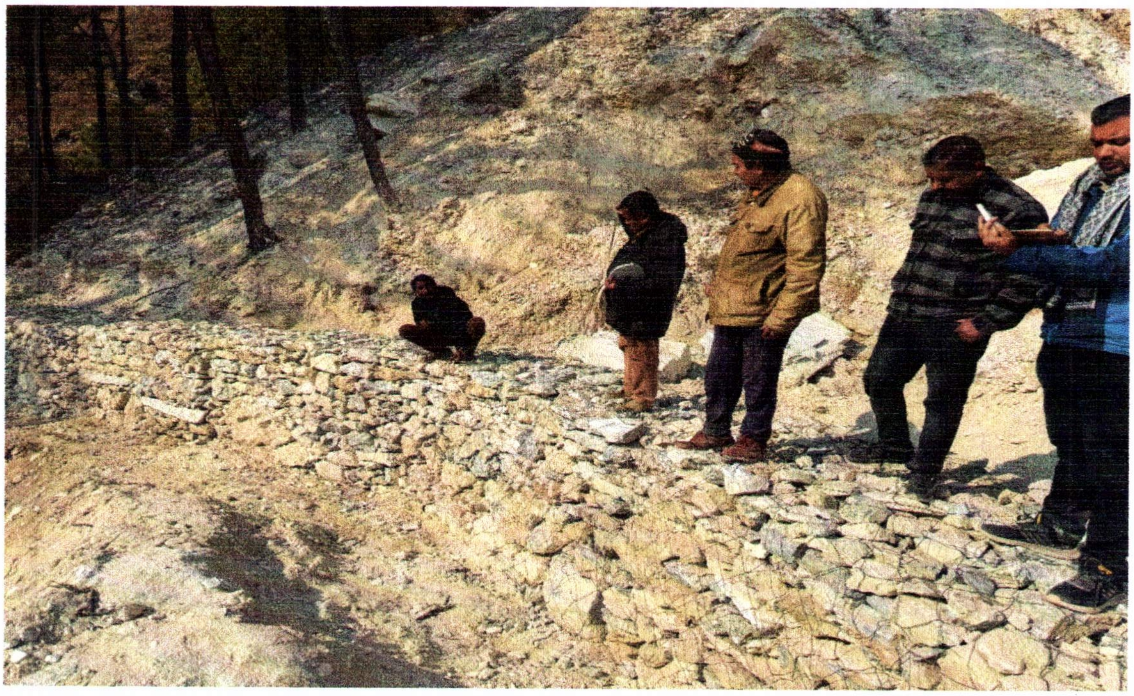

Latitude: 29°56'43"
Longitude: 80°13'51"
Elevation: 1423.87±9 m
Accuracy: 8.6 m
Time: 25-01-2024 14:01
Note: bajeta
Powered by NoteCam